

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 15 ()2010-13/गोप्र/प्रमुवस/3917-3944/c

दिनांक: 6.9.201

निमित्त,

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक.....

मुख्य वन संरक्षक.....

उप वन संरक्षक.....

विषय:-कनिष्ठ लिपिक से वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति पश्चात उपस्थिति दिये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ:-इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ 15 ()2010-13/गोप्र/प्रमुवस/2642-2752 स्त्री
दिनांक 17.06.2013

महोदय,

विषयान्तर्गत उक्त संदर्भित आदेशों के क्रम में निवेदन है कि विभागीय पदोन्नति समीति द्वारा चयनित कनिष्ठ लिपिकों को वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति पश्चात नवीन पद स्थापन कार्यालय में दिनांक 07.07.2013 तक उपस्थिति देने के लिए निर्देश प्रदान किये गए थे लेकिन अभी तक पदोन्नत कनिष्ठ लिपिकों द्वारा नवीन पद स्थापन कार्यालय में उपस्थिति प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसे कनिष्ठ लिपिक जिनके द्वारा पदोन्नति पर उपस्थिति प्रस्तुत नहीं की है उन्हें निर्देश देवे की वे दिनांक 10.09.2013 तक नवीन पद स्थापन कार्यालय में उपस्थिति प्रस्तुत कर देवें अन्यथा उनके पदोन्नति आदेश निरस्त कर दिये जावेंगे। आप से सम्बन्धित कर्मचारी की ड्युटी जोईन रिपोर्ट/फोरगो किये जाने की कर्मचारी की लिखित रिपोर्ट को अग्रेक्षित कर इस कार्यालय को दिनांक 11.09.13 तक भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय



अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(प्रशासन)
राजस्थान, जयपुर